

सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 30.03.2025

सर्राफ के साथ टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

01 सोने की चैन, 01 नकली सोने की चैन, 01 कार वेन्यू की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी सैफई के कुशल नेतृत्व में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी सुमित कुमार गुप्ता उर्फ सीपू पुत्र सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 27.03.2025 को 01 ग्राहक आया और 01 सोने की जंजीर दिखाने को कहा एवं जंजीर पसन्द आने पर उसके पैसे देकर चला गया तथा रात्रि में उसने दुकान पर आकर कहा कि यह जंजीर पसन्द नहीं है दूसरी दे दो इस पर मेरे द्वारा उसे दूसरी जंजीर दे दी गयी एवं पहले की जंजीर को जब मेरे द्वारा कारीगर को बुलाकर चैक किया गया तो वह जंजीर नकली पायी गयी।

सूचना पर तत्काल थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विरष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 30.03.2025 को थाना बसरेहर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 21/2025 से सम्बन्धित अभियुक्त को लोहिया पुल से भदामई की ओर जाने वाले रास्ते से समय करीब 13.21 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विपिन यादव पुत्र सुभाषचन्द्र यादव निवासी मिल्किया पोस्ट खेड़ा हेलू थाना चौबिया जनपद इटावा उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/316(2)/317(2) बीएनएस थाना बसरेहर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 219/22 धारा 417/419 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा
- 2. म्0अ0सं0 246/22 धारा 170/171/420 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा
- 3. मु0अ0सं0 247/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
- 4. म्0अ0सं0 132/22 धारा 346/379/420 भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा
- 5. मु०अ०सं० 158/15 धारा 147/148/149/307/323/504/506भादवि थाना चौबिया जनपद इटावा।
- 6. मु0अ0सं0 393/24 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना बकेवर जनपद इटावा
- 7. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/316(2)/317(2) बीएनएस थाना बसरेहर जनपद इटावा। **बरामदगी:-**
 - 1. 01 नकली सोने की चैन
 - 2. 01 सोने की चैन
 - 3. 01 वेन्यू कार (सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट)

पुलिस टीम- उ0िन0 श्री सौरभ सिंह थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0िन0 राजेश कुमार, उ0िन0 जगराम सिंह, का0 राहुल कुमार , का0 चालक अरविन्द कुमार।